

**भूमि आवंटन बाबत चैक लिस्ट**  
**पत्र दिनांक 13.04.2018 के सन्दर्भ में**

1	जिले का नाम	पाली
2	आवेदक संस्था का नाम/पता व विवरण	मरूधर स्टोन सप्लायर्स (नेताराम पुत्र रूपाराम देवासी निवासी सिन्दरू तहसील सुमेरपुर)
3	संस्था का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र व अन्य विवरण	—
4	संस्था का गत 3 वर्ष का आय-व्यय का विवरण	—
5	संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजना रिपोर्ट, निर्माण, लागत व आर्थिक संसाधनों का विवरण	—
6	क्या उक्त संस्था को उक्त क्षेत्र में अनुभव है? उसका विवरण	—
7	संस्था को भू-आवंटन का प्रयोजन एवं संबंधित विभाग को अभिशंषा/अभिमत एवं मान्यता	प्रार्थी संस्था को ग्राम सिन्दरू के ख.नं. 1 रकबा 0.32 हैक्टेयर में क्रेशर उद्योग हेतु भूमि आवंटन की अनुशंषा की जाती है।
8	संस्था द्वारा नॉर्म्स से अधिक भूमि चाहे जाने पर उसका औचित्य	
9	क्या संस्था को पूर्व में कभी इस जिले में भूमि आवंटित की गई थी? यदि हां तो विवरण	जी हाँ, खनन लीज 1 हैक्टेयर
10	परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को मिलेगा ? व क्या लाभ मिलेगा ?	समस्त मजदूर वर्ग को
11	संस्था द्वारा चाही जा रही भूमि का विवरण-राजस्व ग्राम का नाम, ख.नं., किस्म क्षेत्रफल मय जमाबंदी व राजस्व नक्शे के	ग्राम सिन्दरू ख.नं. 1 किस्म गै.मु.पहाड़ रकबा 0.32 हैक्टेयर
12	संस्था को आवंटन की जाने वाली भूमि की प्रस्तावित दर	नियमानुसार 3,52,950/- रुपये प्रति हैक्टेयर
13	आवेदक द्वारा चाही गई रियायत का विवरण	नियमानुसार
14	प्रस्तावित भूमि की कुल कीमत	1,12,944/- (एक लाख बारह हजार नौ सौ चौवालीस रुपये)
15	चाही गई भूमि की वर्तमान डीएलसी दर	नियमानुसार
16	क्या प्रश्नगत भूमि बाबत वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है या स्थगन आदेश तो नहीं है?	नहीं
17	भू-उपयोग परिवर्तन होना है? भूमि की श्रेणी (ग्रामीण, नगरीय परिधीय भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग से दूरी)	हां, परिधीय भूमि, राष्ट्रीय राजमार्ग-62 से दूरी - 2 किलोमीटर, आबादी से दूरी - 4 किलोमीटर
18	क्या भूमि पर पूर्व से निर्माण है?	नहीं
19	यदि भूमि पर अतिक्रमण हो तो विवरण।	नहीं
20	क्या भूमि कमाण्ड क्षेत्र में है?	नहीं
21	भूमि आवंटन के प्रस्ताव के साथ संलग्न रिकॉर्ड जमाबंदी-राजस्व नक्शा-तहसीलदार की रिपोर्ट व अन्य आवश्यक रिपोर्ट	जमाबन्दी, नक्शा
22	क्या प्रस्तावित भूमि चारागाह है ? यदि हां तो ग्राम पंचायत की राय/अभिशंषा संलग्न है या नहीं? चारागाह भूमि के क्षतिपूर्ति के प्रस्ताव	नहीं
23	संबंधित भूमि नगरीय क्षेत्र या पैराफेरी क्षेत्र में है तो क्या निकाय की एन.ओ.सी. संलग्न है ?	पैराफेरी-फालना
24	भूमि नगरीय क्षेत्र की होने पर नगर नियोजन विभाग की राय	नहीं
25	यदि मास्टर प्लान बन चुका है, तो क्या भू-उपयोग परिवर्तन मास्टर प्लान के अनुरूप है अथवा भू-उपयोग परिवर्तन की शर्त के साथ भू-आवंटन किया जाना है ?	नहीं
26.	प्रस्तावित भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की तो नहीं है ?	नहीं
27.	किस नियम/परिपत्र के अन्तर्गत आवंटन प्रस्तावित किया गया है ?	
28.	विभिन्न प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि के आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि की सूचना/प्रयोजन जिला कार्यालय की वेब साइट व नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक किये जाने का विवरण	

उपरोक्त सभी बिन्दुओं के संबंध में तथ्यों का सत्यापन कर तत्संबंधी संतुष्टी कर ली गई एवं तदानुसार उक्त प्रकरण में भू-आवंटन करने की अभिशंषा की जाती है।

पटवारी, सिन्दरू तहसील सुमेरपुर	तहसीलदार, सुमेरपुर	उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर	जिला कलेक्टर, पाली (राज.)
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------------	------------------------------